फर्द अहकाम

प्रकरण सं0 01/2019

श्री लक्ष्मीनारायण बनाम श्री राजस्थान राज्य सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
19.12.2026	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में प्राप्त प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादी व प्रतिवादीगण 1/2, 1/2 में विक्रय एवं क्रय नाजायज के आधार पर कौन-कौन से आराजियात में कायम किया जाने योग्य नहीं है। अतः कि पालना नहीं की जा सकती है। अतः प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरणों खारिज पर क्रोष किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। पत्रावली चौकसी अनुसार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)